Page 1 of 40

SUITABILITY TEST-2023 OF CIVIL JUDGES (SR. DIVISION) FOR PROMOTION TO THE POST OF DISTRICT JUDGE (ENTRY LEVEL)

अनुक्रमांक /Roll No.

Total No. of Questions : 100 कुल प्रश्नों की संख्या :

100

40 No. of Printed Pages : मुद्रित पृष्ठों की संख्या : 40

प्रथम प्रश्न-पत्र **First Question Paper**

Time Allowed :	03:00 Hours	Maximum Marks :	100
(Including 2 nd Question Paper)		c	
समय :	03:00 ਬਾਟੇ	पूर्णांक :	100
(द्वितीय प्रश्न पत्र के साथ ही)			

निर्देश : -

Instructions:-

standard.

- सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं। 1. All questions are compulsory. All questions shall carry equal Marks.
- इस प्रश्नपत्र में प्रश्नों की निर्धारित संख्या 100 है। प्रश्न पत्र के आवरण पष्ठ पर प्रश्न-पत्र के कुल पृष्ठों 2. की संख्या दी गई है। परीक्षार्थी जांच कर लें कि उसके प्रश्न-पत्र में अपेक्षित संख्या में प्रश्न मुद्रित हैं एवं समी पृष्ठ मौजूद हैं, अन्यथा वह उसे दूसरे प्रश्न पत्र से बदल लें। This question paper contains fixed number of 100 questions. The cover page indicates the total number of pages in the question paper. The examinee shall check that the requisite number of questions is printed in his/her question paper and all pages are available, otherwise he/she shall get it replaced by another question paper.
- ओ एम आर शीट पर दिये निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें तथा अपने उत्तर तदानुसार अंकित करें। 3. Read carefully the instructions given on the OMR sheet and indicate your answers accordingly.
- कृपया ओ एम आर शीट पर निर्धारित स्थानों पर ही आवश्यक प्रविष्टियां कीजिये, अन्य स्थानों पर नहीं। 4. Kindly make the necessary entries on the OMR sheet only at the places indicated and nowhere else.
- किसी प्रश्न के हिन्दी तथा अंग्रेजी रूपांतर में किसी प्रकार की कोई मुद्रण या तथ्यात्मक मिन्नता होने की 5. दशा में, अंग्रेजी रूपांतर को मानक माना जायेगा। In case there is any variance either in printing or of a factual nature, out of the Hindi and English versions of the question, the English version will be treated as

P.T.O.

Code of Civil Procedure, 1908

- प्र.क्र. 1— किस मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि पुनर्विलोकन की शक्तियों का उपयोग अंतर्निहित शक्ति के रूप में नहीं किया जा सकता है और ना ही पुनर्विलोकन के वेश में अपीलीय शक्ति का उपयोग किया जा सकता है''।
 - (अ) के. अकबर अली बनाम के. उमर खान एवं अन्य (2021) 14 सुप्रीम कोर्ट केसेस 51
 - (ब) खुशीराम एवं अन्य बनाम नवल सिंह एवं अन्य (2021) 16 सुप्रीम कोर्ट केसेस 279
 - (स) श्री राम साहू (मृत) द्वारा विधिक प्रतिनिधिगण एवं अन्य बनाम विनोद कुमार रावत एवं अन्य (2021) 13 सुप्रीम कोर्ट केसेस 1
 - (द) रतन सिंह एवं अन्य बनाम निर्मल गिल एवं अन्य (2021) 15 सुप्रीम कोर्ट केसेस 300
- Que. In which case Hon'ble Supreme Court has held that the powers of review cannot be exercised as an inherent power nor can an appellate power can be exercised in the guise of power of review ?
 - (a) K. Akbar Ali Vs K. Umar Khan and others (2021) 14 SCC 51
 - (b) Khushi Ram and Others Vs Nawal Singh and Others (2021) 16 SCC 279
 - (c) Shri Ram Sahu (Dead) through Legal Representatives and Others Vs Vinod Kumar Rawat and Others (2021) 13 SCC 1
 - (d) Rattan Singh and others Vs Nirmal Gill and others (2021) 15 SCC 300
- प्र.क. 2— सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 41 नियम 22 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है ?
 - (अ) प्रत्यर्थी जिसने डिक्री के किसी भाग के विरूद्ध अपील ना की हो, डिक्री का समर्थन कर सकेगा।
 - (ब) यह कथन कर सकेगा कि निचले न्यायालय में उसके विरूद्ध किसी विवाद्यक की बाबत निर्णय उसके पक्ष में होना चाहिए था।
 - (स) उस पर अपील की सुनवाई के लिए नियत दिन की सूचना की तामील होने के दो माह के भीतर अपील न्यायालय में प्रत्याक्षेप फाईल कर सकेगा।
 - (द) डिक्री के विरूद्ध कोई ऐसा प्रत्याक्षेप भी कर सकेगा जो वह अपील द्वारा कर सकता था।
- Que. Which statement is not correct in relation to Order 41 Rule 22 of the Code of Civil Procedure, 1908 ?
 - (a) Respondent who may not have appealed from any part of decree, may support the decree.
 - (b) May state that the finding against him in the Court below in respect of any issue ought to have been in his favour.
 - (c) He may file cross objection in the Appellate Court within two months from the date of service on him of notice of the day fixed for hearing the appeal.
 - (d) May also take any cross objection to the decree which he could have taken by way of appeal.

- (अ) दसवें दिन
- (ब) पन्द्रहवें दिन
- (स) बीसवें दिन
- (द) तीसवें दिन
- Que.

e. On every sale of immovable property in execution of decree, the full amount of purchase money payable shall be paid by the person declared to be the purchaser into court, before the court closes on the from the sale of the property.

(a) Tenth day

- (b) Fifteenth day
- (c) Twentieth day

(d) Thirtieth day

- प्र.क. 4—. सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 2 (12) के अनुसार सम्पत्ति के ''अंतः कालीन लाभ'' से अभिप्रेत है —
 - (अ) ऐसे लाभों पर ब्याज सहित वे लाभ जो ऐसी सम्पत्ति पर कब्जा रखने वाले व्यक्ति को उस सम्पत्ति से वस्तुतः प्राप्त हुए हों, किन्तु उस व्यक्ति द्वारा की गई अभिवृद्धियों के कारण हुए लाभ इसके अंतर्गत नहीं आयेंगे।
 - (ब) ऐसे लाभों पर ब्याज सहित वे लाभ जो ऐसी सम्पत्ति पर सदोष कब्जा रखने वाले व्यक्ति को उस सम्पत्ति से वस्तुतः प्राप्त हुए हों, किन्तु उस व्यक्ति द्वारा की गई अभिवृद्धियों के कारण हुए लाभ इसके अंतर्गत नहीं आयेंगे।
 - (स) ऐसे लाभों पर ब्याज सहित वे लाभ जो ऐसी सम्पत्ति पर सदोष कब्जा रखने वाले व्यक्ति को उस सम्पत्ति से वस्तुतः प्राप्त हुए हों तथा उस व्यक्ति द्वारा की गई अभिवृद्धियों के कारण हुए लाभ इसके अंतर्गत आयेंगे।
 - (द) ऐसे लामों पर ब्याज सहित वे लाभ जो ऐसी सम्पत्ति पर विधिपूर्ण कब्जा रखने वाले व्यक्ति को उस सम्पत्ति से वस्तुतः प्राप्त हुए हों, किन्तु उस व्यक्ति द्वारा की गई अभिवृद्धियों के कारण हुए लाभ इसके अंतर्गत नहीं आयेंगे।

As per Section 2 (12) of the Code of Civil Procedure, 1908, "mesne profits" of property means -

- (a) Those profits which the person in possession of such property actually received therefrom, together with interest on such profits, but shall not include profits due to improvements made by such person.
- (b) Those profits which the person in wrongful possession of such property actually received therefrom, together with interest on such profits, but shall not include profits due to improvements made by such person.
- (c) Those profits which the person in wrongful possession of such property actually received therefrom, together with interest on such profits and shall include profits due to improvements made by such person.
- (d) Those profits which the person in lawful possession of such property actually received therefrom, together with interest on such profits and shall not include profits due to improvements made by such

Que.

person.

- प्र.क्र. 5 कोई न्यायालय ऐसे किसी वाद के विचारण में, जिसमें विवाद्य विषय उसी हक के अधीन मुकदमा करने वाले किन्हीं पक्षकारों के बीच के, या ऐसे पक्षकारों के बीच के जिनसे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन वे या उनमें से कोई दावा करते हैं, किसी पूर्वतन संस्थित वाद में भी प्रत्यक्षतः और सारतः विवाद्य है, आगे कार्यवाही नहीं करेगा, जहाँ ऐसा वाद –
 - (अ) उसी न्यायालय में या भारत में के किसी अन्य ऐसे न्यायालय में, जो दावा किया गया अनुतोष देने की अधिकारिता रखता है, के समक्ष लंबित है।
 - (ब) भारत की सीमाओं से परे वाले किसी ऐसे न्यायालय में जो केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित किया गया है और जो दावा किया गया अनुतोष देने की अधिकारिता रखता है, के समक्ष लंबित है।
 - (स) उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित है।
 - (द) उपरोक्त सभी।
- Que. No Court shall proceed with the trial of any suit in which the matter in issue is also directly and substantially in issue in a previously instituted suit between the same parties, or between parties under whom they or any of them claim litigating under the same title where such suit is -
 - (a) pending in the same or any other court in India having jurisdiction to grant the relief claimed.
 - (b) pending in any court beyond the limits of India established by the Central Government and having jurisdiction to grant the relief claimed.
 - (c) pending before the Supreme Court.
 - (d) All of the above.
- - (अ) विचारण न्यायालय
 - (ब) निष्पादन न्यायालय
 - (स) पृथक वाद
 - (द) उपरोक्त सभी
- Que. All questions arising between the parties to the suit in which the decree was passed, or their representatives, and relating to the execution, discharge or satisfaction of the decree, shall be determined by the

(a) Trial Cou

- (a) Trial Court.
- (b) Executing Court.
- (c) Separate Suit.
- (d) All of the above.
- प्र.क. 7- सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश XLIII के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से आदेश अपील योग्य हैं ?
 - (1) आदेश 11 के नियम 21 के अधीन आदेश।

- (2) वाद की खारिजी को अपास्त करने के आदेश के लिए (ऐसे मामले में जिसमें अपील होती है) आवेदन को नामंजूर करने का आदेश जो आदेश 9 के नियम 9 के अधीन दिया गया हो।
- (3) एकपक्षीय पारित डिक्री को अपास्त करने के आदेश के लिए (ऐसे मामले में जिसमें अपील होती है) आवेदन के नामंजूर करने का आदेश जो आदेश 9 के नियम 13 के अधीन दिया गया हो।
- (4) पुनर्विलोकन के लिए आवेदन नामंजूर करने का आदेश जो आदेश 47 नियम 4 के अधीन दिया गया हो।
- (अ) 1, 2 और 4

(ब) 2 और 4

- (स) 1, 2 और 3
- (द) 2, 3 और 4
- e. Which of the following orders are appealable according to Order XLIII of the Code of Civil Procedure, 1908 ?
 - (1) An order under rule 21 of order XI.
 - (2) An order under rule 9 of order IX rejecting an application (in a case open to appeal) for an order to set aside the dismissal of a suit.
 - (3) An order under rule 13 of Order IX rejecting an application (in a case open to appeal) for an order to set aside a decree passed ex-parte.
 - (4) An order under rule 4 of order XLVII rejecting an application for review.
 - (a) 1, 2 and 4
 - (b) 2 and 4
 - (c) 1, 2 and 3
 - (d) 2, 3 and 4
- प्र.ज्ञ. 8- प्रतिनिधि हैसियत में प्रस्तुत किया गया एक वाद प्रत्याहरित किया जा सकता है अथवा उसके भाग का परित्याग किया जा सकता है –
 - (अ) जबकि न्यायालय द्वारा हितबद्ध सभी व्यक्तियों को सूचना दे दी गई हो।
 - (ब) जबकि हितबद्ध सभी व्यक्तियों को वाद के संस्थापन की सूचना हो।
 - (स) जबकि समान वाद हेतुक वाले व्यक्तियों को सूचना दे दी गई हो।
 - (द) नहीं किया जा सकता।
- Que. A Suit filed in representative capacity can only be withdrawn or a part of the claim can be abandoned -
 - (a) when the court has given notice to all persons so interested.
 - (b) when all persons so interested have the knowledge of the institution of the suit.
 - (c) when the court has given notice to all persons having same cause of action.
 - (d) cannot be done.
- प्र.क्र.9 सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 22 नियम 12 के अनुसार नियम की कोई भी बात किसी डिक्री या आदेश के निष्पादन की कार्यवाहियों को लागू नहीं होगी।

Que.

(अ) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 22 नियम 2, 3 एवं 4

- (ब) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 22 नियम 3, 4 एवं 8
- (स) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 22 नियम 3, 5 एवं 8
- (द) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 22 नियम 2, 3 एवं 10
- Que. As per Order 22 Rule 12 of Code of Civil Procedure, 1908, nothing in rules shall apply to proceedings in execution of a decree or order.
 (a) Rule 2, 3 and 4 of Order 22 of Code of Civil Procedure, 1908
 - (b) Rule 3, 4 and 8 of Order 22 of Code of Civil Procedure, 1908
 - (c) Rule 3, 5 and 8 of Order 22 of Code of Civil Procedure, 1908
 - (d) Rule 2, 3 and 10 of Order 22 of Code of Civil Procedure, 1908
- प्र.क. 10- ऐसे वाद में जो व्यतिक्रम के कारण खारिज कर दिया जाता है, निर्णय के पूर्व की गई कुर्की
 - (अ) वाद प्रत्यावर्तित होने पर स्वमेव पुनः प्रवर्तित होती है।
 - (ब) वाद प्रत्यावर्तित होने पर स्वमेव पुनः प्रवर्तित नहीं होती है।
 - (स) पुनः प्रवर्तन मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर हो सकता है।
 - (द) अ और स दोनों
- Que. An attachment made before judgment in a suit which is dismissed for default -
 - (a) shall revive automatically on the restoration of the suit.
 - (b) shall not revive automatically on the restoration of the suit.
 - (c) may revive depending on the facts and circumstances of the case.
 - (d) both a and c

Limitation Act, 1963

- प्र.क. 11- परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 22 में क्या प्रावधानित किया गया है ?
 - (अ) चालू रहने वाले भंग और अपकृत्य।
 - (ब) लिखतों में वर्णित समय की संगणना।
 - (स) किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अभिस्वीकृति या संदाय का प्रभाव।
 - (द) नया वादी या प्रतिवादी प्रतिस्थापित करने या जोड़ने का प्रभाव।
 - Que. What is provided in section 22 of the Limitation Act, 1963 ?
 - (a) Continuing breaches and torts.
 - (b) Computation of time mentioned in instruments.
 - (c) Effect of acknowledgement or payment by another person.
 - (d) Effect of substituting or adding new plaintiff or defendant.
- प्र.क. 12 विहित परिसीमा काल के अवसान के पूर्व 'अ' 'ब' के दायित्व की अभिस्वीकृति लिखित में करता है तथा ऋण अदा करने का वचन देता है। इस प्रकार की अभिस्वीकृति का क्या प्रभाव है ?
 - (अ) कोई प्रभाव नहीं होगा।
 - (ब) उस समय से एक नया परिसीमा काल संगणित किया जायेगा जब वह अभिस्वीकृति इस प्रकार हस्ताक्षरित की गई थी।
 - (स) परिसीमा काल की अवधि छः माह तक बढ़ जावेगी।

(द) उपरोक्त में से कोई नहीं।

Que.

e. Before the expiration of the prescribed period of limitation, 'A' has acknowledged the dues of B in writing and has promised to pay the dues. What is the effect of such an acknowledgement ?

- (a) will have no effect.
- (b) A fresh period of limitation shall be computed from the time when the acknowledgement was so signed.
- (c) Period of limitation will be extended upto six months.
- (d) None of the above.
- - (अ) अपयाजत किंद्र जाद
 - (ब) गिने जाएंगे।
 - (स) जिस दिन वह कार्यवाही संस्थित की गई वह गिना जायेगा और वह दिन, जिस दिन उसका अंत हुआ अपवर्जित किया जायेगा।
 - (द) जिस दिन वह कार्यवाही संस्थित की गई वह अपवर्जित किया जायेगा और वह दिन, जिस दिन उसका अंत हुआ गिना जायेगा।
 - - (a) excluded.
 - (b) counted.
 - (c) the day on which that proceeding was instituted shall be counted and the day on which it ended shall be excluded.
 - (d) the day on which that proceeding was instituted shall be excluded and the day on which it ended shall be counted.

Specific Relief Act, 1963

- प्र.क. 14- व्यादेश कब अनुदत्त किया जा सकता है ?
 - (अ) किसी व्यक्ति को ऐसे न्यायालय में, जो उस न्यायालय के अधीनस्थ नहीं है, जिससे व्यादेश इप्सित है, किसी कार्यवाही को संस्थित या अभियोजित करने से अवरूद्ध करने को।
 - (ब) किसी व्यक्ति को किसी विधायी निकाय के समक्ष आवेदन करने से अवरूद्ध करने को।
 - (स) किसी व्यक्ति को किसी आपराधिक मामले में कोई कार्यवाही संस्थित या अभियोजित करने से अवरूद्ध करने को।
 - (द) किसी व्यक्ति को जबरन बेदखल करने से अवरूद्ध करने को।
 - Que. When injunction can be granted ?
 - (a) To restrain any person from instituting or prosecuting any proceeding in a court not subordinate to that from which the injunction is sought.
 - (b) To restrain any person from applying to any legislative body.

- (c) To restrain any person from instituing or prosecuting any proceeding in a criminal matter.
- (d) To restrain any person from dispossession by force.
- प्र.क्र. 15– माननीय उच्चतम न्यायालय ने किस निर्णय में यह प्रतिपादित किया है कि विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम का संशोधन अधिनियम, 2018 भविष्यलक्षी है एवं उन संव्यवहारों पर लागू नहीं किया जा सकता जो इसके प्रवृत्त होने के पूर्व हुए हैं ?
 - (अ) शत्रुघन आत्माराम पाटिल एवं अन्य बनाम विनोद दोधू चौधरी एवं एक अन्य 2024 एस सी सी ऑनलाइन एस सी 80
 - (ब) कहा सुजाता रेड्डी एवं एक अन्य बनाम सिद्धमसेट्टी इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड एवं अन्य (2023) 1 एस सी सी 355
 - (स) यू.एन. कृष्णामूर्ति (पूर्व मृत) द्वारा विधिक प्रतिनिधिगण बनाम ए. एम. कृष्णामूर्ति 2022 एस सी सी ऑनलाइन एस सी 840
 - (द) शिवाली इण्टरप्राइजेज बनाम गोदावरी (मृत) द्वारा विधिक प्रतिनिधिगण एवं अन्य 2022 एस सी सी ऑनलाइन एस सी 1211
- Que. In which judgment Hon'ble Supreme Court has held that the 2018 amendment to the Specific Relief Act is Prospective and cannot apply to those transactions that took place prior to its coming into force?
 - (a) Shatrughna Atmaram Patil and Others Vs Vinod Dodhu Chaudhary and Another 2024 SCC Online SC 80
 - (b) Katta Sujatha Reddy and Another Vs Siddamsetty Infra Projects Private Limited and Others (2023) 1 SCC 355
 - (c) U.N. Krishnamurthy (Since Deceased) Through LRs Vs A.M. Krishnamurthy 2022 SCC Online SC 840
 - (d) Shivali Enterprises Vs Godavari (Deceased) Through LRs and Others 2022 SCC Online SC 1211
- प्र.क्र. 16— जबकि पक्षकारों के कपट या पारस्परिक भूल के कारण कोई लिखित संविदा या अन्य लिखत उनके वास्तविक आशय को अभिव्यक्त नहीं करती, तब दोनों में से कोई पक्षकार या उसका हित प्रतिनिधि वाद संस्थित कर सकेगा —
 - (अ) लिखत को रद्द कराने का।
 - (ब) लिखत को परिशोधित कराने का।
 - (स) लिखत को विखंडित कराने का।
 - (द) लिखत को परिबद्ध कराने का।
- Que. When, through fraud or a mutual mistake of the parties, a contract or other instrument in writing does not express their real intention, then either party or his representative in interest may institute a suit -
 - (a) to have the instrument cancelled.
 - (b) to have the instrument rectified.
 - (c) to have the instrument rescissioned.
 - (d) to have the instrument impounded.
- प्र.क्र. 17— विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 की धारा 34 के संबंध में प्रावधानित करती है। (अ) घोषणात्मक डिक्री

- (ब) आज्ञापक व्यादेश
- (स) लिखतों की परिशुद्धि
- (द) लिखतों का विखंडन
- Que. Section 34 of the Specific Relief Act, 1963 contains the provision regarding
 - (a) Declaratory Decree.
 - (b) Mandatory Injunction.
 - (c) Rectification of Instruments.
 - (d) Rescission of Instruments.
- प्र.क. 18- निम्न में कौन सा/ से कथन सत्य हैं ?
 - (अ) जहां वादी का स्वामित्व संदेह के घेरे में है और उसके पास कब्जा नहीं है तब उपचार पारिणामिक व्यादेश के साथ अथवा उसके बिना, घोषणा और कब्जे के लिए वाद है।
 - (ब) जहां वादी का स्वामित्व विवादित या संदेह के घेरे में नहीं है, किन्तु वह कब्जे से बाहर है, उसे पारिणामिक व्यादेश के साथ कब्जे के लिए वाद लाना होगा।
 - (स) जहां केवल वादी के वैधानिक कब्जे में हस्तक्षेप अथवा बेकब्जा किये जाने की धमकी है, वहां साधारण निषेधाज्ञा के लिए वाद पर्याप्त होगा।
 - (द) उपरोक्त सभी।

Que. Which of the following statement(s) is/are true ?

- (a) Where the plaintiff's title is under a cloud and he does not have possession, a suit for declaration and possession, with or without consequential injunction, is the remedy.
- (b) Where the plaintiff's title is not in dispute or under a cloud, but he is out of possession, he has to sue for possession with a consequential injunction.
- (c) Where there is merely an interference with plaintiff's lawful possession or threat of dispossession, it is sufficient to sue for injunction simpliciter.
- (d) All of the above.

Motor Vehicle Act, 1988

Chapter - 11 & 12

- **प्र.क. 19** माननीय उच्चतम न्यायालय ने किस निर्णय में यह प्रतिपादित किया है कि प्रेम और स्नेह के लिये पृथक मद के रूप में प्रतिकर राशि दिलाना न्यायोचित नहीं है ?
 - (अ) नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी एवं अन्य (2017) 16 एस सी सी 680
 - (ब) युनाईटेड इण्डिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम सतिन्दर कौर उर्फ सतविंदर कौर एवं अन्य (2021) 11 एस सी सी 780
 - (स) मेगमा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम नानू राम उर्फ चुहरू राम एवं अन्य (2018) 18 एस सी सी 130
 - (द) नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम विजय एवं अन्य 2022 एस सी सी ऑनलाइन एस सी 1826
 - Que. In which judgment Hon'ble Supreme Court has held that there is no justification to award compensation towards loss of love and affection as a separate head ?

- (a) National Insurance Company Limited Vs Pranay Sethi & Others (2017) 16 SCC 680
- (b) United India Insurance Company Limited Vs Satinder Kaur alias Satwinder Kaur & Others (2021) 11 SCC 780
- (c) Magma General Insurance Company Limited Vs Nanu Ram Alias Chuhru Ram & Others (2018) 18 SCC 130
- (d) National Insurance Company Limited Vs Vijay & Others 2022 SCC Online SC 1826
- प्र.क. 20- माननीय उच्चतम न्यायालय ने किस निर्णय में यह अभिनिर्धारित किया है कि आपराधिक मामले में प्रस्तुत अन्तिम प्रतिवेदन में दी गयी राय, दावा याचिका पर कोई प्रभाव नहीं रखेगी, दावा याचिका को याचिका के गुणदोषों पर विचार में लिया जाएगा ?
 - (अ) विनोद कुमार एवं अन्य बनाम जिला मजिस्ट्रेट मउ एवं अन्य 2023 एस सी सी ऑनलाइन एस सी 787
 - (ब) मैथ्यू एलेक्जेंडर बनाम मोहम्मद शफी एवं एक अन्य 2023 एस सी सी ऑनलाइन एस सी 832
 - (स) सरनाम सिंह बनाम श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एवं अन्य (2023) 8 एस सी सी 193
 - (द) ललन डी. उर्फ लाल एवं एक अन्य बनाम ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (2020) 9 एस सी सी 805
- Que. In which case Hon'ble Supreme Court has held that the opinion in the final report filed in criminal case would not have a bearing on the claim petition, claim petition to be considered on its own merits?
 - (a) Vinod Kumar and Others Vs District Magistrate Mau & Others 2023 SCC Online SC 787
 - (b) Mathew Alexander Vs Mohammed Shafi and Another 2023 SCC Online SC 832
 - (c) Sarnam Singh Vs Shriram General Insurance Company Limited & Others (2023) 8 SCC 193
 - (d) Lalan D. Alias Lal and Another Vs Oriental Insurance company Limited (2020) 9 SCC 805
- प्र.क्र. 21- निम्न में कौन सा/से कथन सही हैं ?
 - दावा अधिकरण को शपथ पर साक्ष्य लेने के प्रयोजन के लिए सिविल न्यायालय की सभी शक्तियाँ प्राप्त होंगी।
 - दावा अधिकरण को, किसी साक्षी को हाजिर कराने और दस्तावेजों व भौतिक वस्तुओं का प्रकटीकरण और पेशी कराने की शक्तियाँ प्राप्त होंगी।
 - 3. दावा अधिकरण को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 195 और उसके अध्याय 26 के सब प्रयोजनों के लिये सिविल न्यायालय समझा जाएगा।
 - (अ) केवल 1 एवं 2
 - (ब) केवल २ एवं ३
 - (स) केवल 1 एवं 3
 - (द) 1, 2 एवं 3
- Que. Which of the following statement(s) is/are correct ?

- 1. The Claim Tribunal shall have all the powers of a civil Court for the purpose of taking evidence on oath.
- 2. The Claim Tribunal shall have the power of enforcing the attendance of witnesses and of compelling the discovery and production of documents.
- 3. The Claim Tribunal shall be deemed to be a civil court for all the purposes of section 195 and chapter XXVI of the Code of Criminal Procedure, 1973.
- (a) Only 1 and 2
- (b) Only 2 and 3
- (c) Only 1 and 3
- (d) 1, 2 and 3
- प्र.क. 22 मोटरयान अधिनियम, 1988 की किस धारा में ''स्वर्णिम काल के लिए स्कीम' के बारे में उपबंध किया गया है ?
 - (अ) धारा 161
 - (ब) धारा 162
 - (स) धारा 164
 - (द) धारा 165
 - Que. In which Section of Motor Vehicle Act, 1988 provision has been made in respect of "Scheme for golden hour"?
 - (a) Section 161
 - (b) Section 162
 - (c) Section 164
 - (d) Section 165
- प्र.क. 23- मोटरयान यान अधिनियम, 1988 के अंतर्गत अपील के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है ?
 - (अ) कोई भी व्यक्ति, जो दावा अधिकरण के अधिनिर्णय से व्यथित है, उस अधिनिर्णय की तारीख से नब्बे दिन के भीतर उच्च न्यायालय को अपील कर सकेगा।
 - (ब) दावा अधिकरण के अधिनिर्णय के विरूद्ध कोई अपील उस दशा में नहीं होगी जिसमें अपील में विवादग्रस्त रकम एक लाख रूपए से कम है।
 - (स) कोई भी व्यक्ति, जो दावा अधिकरण के अधिनिर्णय से व्यथित है, उस अधिनिर्णय की तारीख से एक सौ बीस दिन के भीतर उच्च न्यायालय को अपील कर सकेगा।
 - (द) केवल (अ) एवं (ब)
 - Que. Which of the following is not correct in respect to appeals under Motor Vehicle Act, 1988 ?
 - (a) Any person aggrieved by an award of a Claims tribunal may, within ninety days from the date of the award, prefer an appeal to the High Court.
 - (b) No appeal shall lie against any award of a Claims Tribunal if the amount in dispute in the appeal is less than one lakh rupees.
 - (c) Any person aggrieved by an award of a Claims tribunal may, within

one hundred twenty days from the date of the award, prefer an appeal to the High Court.

(d) Only (a) and (b).

Code of Criminal Procedure, 1973

- प्र.क. 24 निम्न में से कौन सी अनियमितता(ऐं) कार्यवाही को दूषित करेगी, यदि कोई मजिस्ट्रेट विधि द्वारा सशक्त ना होते हुये भी ऐसा करता है ?
 - (अ) धारा 94 दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अधीन तलाशी–वारण्ट जारी करना।
 - (ब) धारा 176 दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अधीन मृत्यु-समीक्षा करना।
 - (स) किसी अपराधी का संक्षेपतः विचारण करना।
 - (द) धारा 306 दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अधीन क्षमादान करना।
- Que. Which of the following irregularity(s) will vitiate the proceedings, if the magistrate, who is not empowered by law, does it ?
 - (a) issues a search warrant under section 94 of Criminal Procedure Code, 1973.
 - (b) holds an inquest under section 176 of Criminal Procedure Code, 1973.
 - (c) tries an offender summarily.
 - (d) tenders a pardon under section 306 of Criminal Procedure Code, 1973.
- प्र.क्र. 25— जहॉ किसी मामले में मजिस्ट्रेट इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियुक्त दोषी है किंतु वह धारा 325 या धारा 360 के उपबंधों के अनुसार कार्यवाही नहीं करता है, तब अभियुक्त को दण्ड के प्रश्न पर सुना जाना आवश्यक होगा —
 - (अ) धारा 255 (२) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अंतर्गत।
 - (ब) धारा 248 (2) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अंतर्गत।
 - (स) धारा 235 (2) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अंतर्गत।
 - (द) धारा २६० दण्ड प्रक्रिया संहिता, १९७३ के अंतर्गत।
- Que. Where, in any case the magistrate finds the accused guilty, but does not proceed in accordance with the provisions of section 325 or section 360, then it will be necessary to hear the accused on the question of sentence -
 - (a) Under section 255 (2) of Criminal Procedure Code, 1973.
 - (b) Under section 248 (2) of Criminal Procedure Code, 1973.
 - (c) Under section 235 (2) of Criminal Procedure Code, 1973.
 - (d) Under section 260 of Criminal Procedure Code, 1973.
- प्र.क. 26 किस मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया है कि अभियुक्त द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 313 की उपधारा (5) के अंतर्गत लिखित कथन प्रस्तुत किया गया और न्यायालय द्वारा उस पर प्रदर्श अंकित किया गया, तब ऐसे कथन को अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के प्रकाश में विचार में लेना चाहिये एवं इसे अभियुक्त परीक्षण का भाग माना जाएगा ?

- (अ) नूर मोहम्मद बनाम खुर्रम पाशा एआईआर 2022 एससी 3592
- (ब) प्रेमचंद बनाम महाराष्ट्र राज्य (2023) 5 एससीसी 522
- (स) विजय राजमोहन बनाम केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (भ्रष्टाचार निरोधक शाखा) (2023) 1 एससीसी 329
- (द) सुखपाल सिंह खैरा बनाम पंजाब राज्य (2023) 1 एससीसी 289
- Que.
- In which case Hon'ble Supreme Court held that written statement filed by the accused under sub-section (5) of Section 313 Criminal Procedure Code, 1973 and court marked it as an exhibit, then such statement has to be considered in the light of evidence led by the prosecution and as a part of accused statement ?

(a) Noor Mohammed Vs Khurram Pasha AIR 2022 SC 3592

- (b) Premchand Vs State of Maharashtra (2023) 5 SCC 522
- (c) Vijay Rajmohan Vs Central Bureau of Investigation (Anti-Corruption Branch) (2023) 1 SCC 329
- (d) Sukhpal Singh Khaira Vs State of Punjab (2023) 1 SCC 289

प्र.क. 27- निम्नलिखित में से कौन सा अपराध संज्ञेय, अजमानतीय और अशमनीय है-

- (अ) भारतीय दंड संहिता की धारा 325
- (ब) भारतीय दंड संहिता की धारा 295
- (स) भारतीय दंड संहिता की धारा 358
- (द) भारतीय दंड संहिता की धारा 335
- Que. Which of the following offence is cognizable, non-bailable and noncompoundable :-
 - (a) Section 325 of Indian Penal Code, 1860.
 - (b) Section 295 of Indian Penal Code, 1860.
 - (c) Section 358 of Indian Penal Code, 1860.
 - (d) Section 335 of Indian Penal Code, 1860.
- प्र.क. 28– कई आरोपों में से एक के लिए दोषसिद्धि पर शेष आरोपों को वापस लेने के संबंध में प्रावधानित किया गया है –
 - (अ) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 222 में
 - (ब) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 223 में
 - (स) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 224 में
 - (द) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 227 में
 - Que. Withdrawal of remaining charges on conviction on one of several charges has been provided in -
 - (a) Section 222 of Criminal Procedure Code, 1973.
 - (b) Section 223 of Criminal Procedure Code, 1973.
 - (c) Section 224 of Criminal Procedure Code, 1973.
 - (d) Section 227 of Criminal Procedure Code, 1973.
- प्र.क. 29- सौदा अभिवाक् के संबंध में निम्न विकल्पों में से कौन सा लागू नहीं होगा ?

- (अ) सौदा अभिवाक् देश की सामाजिक–आर्थिक दशा को प्रभावित करने वाले अपराध पर लागू होगा।
- (ब) सौदा अभिवाक् महिला के विरूद्ध किए गए अपराधों पर लागू नहीं होगा।
- (स) सौदा अभिवाक् चौदह वर्ष की आयु से कम के बालक के विरूद्ध किए गए अपराधों पर लागू नहीं होगा।
- (द) किसों अभियुक्त द्वारा धारा 265 ख के अधीन फाइल किए गये सौदा अभिवाक् के लिए आवेदन में कथित कथनों या तथ्यों का सौदा अभिवाक् के प्रयोजन के सिवाय किसी अन्य प्रयोजन के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा।
- Que. Which of the following options will not apply in respect of Plea Bargaining?
 - (a) Plea bargaining applies to offence affecting the socio-economic condition of the country.
 - (b) Plea bargaining does not apply to offences committed against a woman.
 - (c) Plea bargaining does not apply to offences committed against a child below the age of fourteen years.
 - (d) The statements or facts stated by an accused in an application for plea bargaining filed under Section 265B shall not be used for any other purpose except for the purpose of plea bargaining.
- प्र.क्र.30— दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 309 के अनुसार भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 376, धारा 376क, धारा 376कख, धारा 376ख, धारा 376ग, धारा 376घ, धारा 376घक या धारा 376घख के अधीन किसी अपराध से संबंधित जांच या विचारण आरोपपत्र फाइल किये जाने की तारीख से की अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा।
 - (अ) 1 माह
 - (ब) २ माह
 - (स) 3 माह
 - (द) 6 माह
- Que. As per Section 309 of Code of Criminal Procedure, 1973, when the inquiry or trial relates to an offence under Section 376, Section 376A, Section 376AB, Section 376B, Section 376C, Section 376D, Section 376DA or Section 376DB of the Indian penal code, 1860 the inquiry or trial shall be completed within a period of from the date of filing of the charge sheet ?
 - (a) 1 month
 - (b) 2 months
 - (c) 3 months
 - (d) 6 months
- प्र.क. 31— एक मजिस्ट्रेट दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 323 के अंतर्गत अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकता है ?
 - (अ) केवल आरोप विरचना से पूर्व।
 - (ब) केवल अभियोजन साक्ष्य पूर्ण होने से पूर्व।

- (स) केवल प्रतिरक्षा की साक्ष्य पूर्ण होने से पूर्व।
- (द) निर्णय पर हस्ताक्षर करने के पूर्व कार्यवाही के किसी प्रक्रम में।
- Que. A Magistrate can invoke his power under Section 323 of Code of Criminal Procedure, 1973?
 - (a) Only before framing of charge.
 - (b) Only before completion of evidence of prosecution.
 - (c) Only before completion of evidence for defence.
 - (d) At any stage of the proceedings before signing judgment.

प्र.क. 32— जब कभी आरोप परिवर्तित किया जाता है, तब न्यायालय द्वारा अभियोजक और अभियुक्त को किसी ऐसे साक्षी को, जिसकी परीक्षा की जा चुकी है, पुनः बुलाने की या पुनः समन करने की अनुज्ञा के अंतर्गत दी जाएगी।

- (अ) धारा 215 दंड प्रक्रिया संहिता, 1973
- (ब) धारा 216 दंड प्रक्रिया संहिता, 1973
- (स) धारा २१७ दंड प्रक्रिया संहिता, १९७३
- (द) धारा 218 दंड प्रक्रिया संहिता, 1973
- Que. Whenever a charge is altered, the Court shall allow the prosecutor and the accused to recall or re-summon any witness who may have been examined, under
 - (a) Section 215 of Code of Criminal Procedure, 1973.
 - (b) Section 216 of Code of Criminal Procedure, 1973.
 - (c) Section 217 of Code of Criminal Procedure, 1973.
 - (d) Section 218 of Code of Criminal Procedure, 1973.

प्र.क्र.33- यदि न्यायालय की यह राय है कि मौखिक बहस संक्षिप्त या सुसंगत नहीं है, तब न्यायालय

- (अ) बहस का अधिकार समाप्त कर सकता है।
- (ब) बहस को विनियमित कर सकता है।
- (स) लिखित बहस प्रस्तुत करने का आदेश दे सकता है।
- (द) उपरोक्त में से कोई नहीं।

..... —

- - (a) close the right of arguments.
 - (b) regulate such arguments.
 - (c) order to file written arguments.
 - (d) none of the above.

Indian Evidence Act, 1872

- प्र.ज. 34- " ब्राईड्स इन द बाथ" मामला किस धारा से संबंधित है ?
 - (अ) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 6
 - (ब) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 8
 - (स) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 14

- (द) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 15
- Que. "Brides in the bath" case relates to which Section ?
 - (a) Section 6 of the Indian Evidence Act, 1872
 - (b) Section 8 of the Indian Evidence Act, 1872
 - (c) Section 14 of the Indian Evidence Act, 1872
 - (d) Section 15 of the Indian Evidence Act, 1872
- प्र.क्र.35 माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा किस मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि परिसाक्ष्य में बोधगम्य विरोधामास वृतांत, जिस पर अभियोजन का मामला आधारित है, को अस्थिर करने के लिए पर्याप्त नहीं है। अन्यथा भी, यह विरोधामास ज्यादा से ज्यादा बाल साक्षी, जिसकी शेष साक्ष्य पूर्णतः अभियोजन का समर्थन करती है, की ओर से मात्र एक अतिश्योक्ति के रूप में देखा जा सकता है ?
 - (अ) मध्य प्रदेश राज्य बनाम महेन्द्र उर्फ गोलू (2022) 12 एस सी सी 442
 - (ब) मध्य प्रदेश राज्य बनाम नन्दू उर्फ नंदकिशोर गुप्ता 2021 एस सी सी ऑनलाइन एम पी 5935
 - (स) रामावतार बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2022) 13 एस सी सी 635
 - (द) प्रशांत सिंह राजपूत बनाम मध्य प्रदेश राज्य एवं एक अन्य (2022) 14 एस सी सी 645
- Que. In which case the Hon'ble Supreme Court held that the perceived contradiction is not adequate to unsettle the narrative on which the case of the prosecution is based. Even otherwise, this contradiction can at best be seen as a mere "exaggeration" on behalf of a child witness whose remaining testimony completely supports the prosecution ?
 - (a) State of Madhya Pradesh Vs. Mahendra alias Golu (2022) 12 SCC 442.
 - (b) State of Madhya Pradesh Vs Nandu @ Nandkishore Gupta 2021 SCC OnLine MP 5935.
 - (c) Ramawatar Vs State of Madhya Pradesh (2022) 13 SCC 635
 - (d) Prashant Singh Rajput Vs State of Madhya Pradesh and another (2022) 14 SCC 645
- प्र.क्र. 36 किस मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि दाण्डिक न्यायालय द्वारा आपराधिक कार्यवाही में अभिलिखित साक्ष्य और निष्कर्ष किसी सिविल मामले में किसी तथ्य की विद्यमानता का निश्चायक सबूत नहीं होता जब तक कि उस निमित्त सिविल न्यायालय द्वारा स्वतंत्र निष्कर्ष अभिलिखित न किया जाए ?
 - (अ) सतपाल सिंह बनाम हरियाणा राज्य (2019) 15 एस सी सी 582
 - (ब) के. नंजप्पा (मृत) द्वारा विधिक प्रतिनिधिगण बनाम आर.ए. हमीद उर्फ अमीरसाब (मृत) द्वारा विधिक प्रतिनिधिगण एवं एक अन्य (2016) 1 एस सी सी 762
 - (स) मनोज बनाम मध्यप्रदेश राज्य (2023) 2 एस सी सी 353
 - (द) सुरेश चौरे बनाम मध्यप्रदेश राज्य (2018) 11 एस सी सी 345
- Que. In which case Hon'ble supreme Court held that evidence and finding recorded by criminal court in criminal proceeding is not conclusive proof of existence of any fact in civil case unless independent finding recorded by civil court in this behalf?

(a) Satpal Singh Vs State of Haryana (2019) 15 SCC 582

- (b) K. Nanjappa (Dead) By Legal Representatives Vs R.A. Hameed alias Ameersab (Dead) By Legal Representatives and Another (2016) 1 SCC 762
- (c) Manoj Vs State of Madhya Pradesh (2023) 2 SCC 353
- (d) Suresh Chaure Vs State of Madhya Pradesh (2018) 11 SCC 345
- प्र.क. 37— भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 में धारा 113ख ''दहेज मृत्यु के बारे में उपधारणा'' अंतःस्थापित की गई थी —
 - (अ) वर्ष 1961 में
 - (ब) वर्ष 1976 में
 - (स) वर्ष 1983 में
 - (द) वर्ष 1986 में
 - Que. Section 113B "presumption as to dowry death" was inserted in the Indian Evidence Act, 1872 -
 - (a) in the year 1961
 - (b) in the year 1976
 - (c) in the year 1983
 - (d) in the year 1986
- **प्र. क्र. 38** किस मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि न्यायालय में पहचान के संबंध में प्रस्तुत साक्ष्य को इस आधार पर अग्राह्य नहीं किया जा सकता कि पहचान परेड आयोजित नहीं की गयी ?
 - (अ) शीशपाल उर्फ शीशू बनाम राज्य (एनसीटी ऑफ दिल्ली) (2022) 9 एससीसी 782
 - (ब) अमरीक सिंह बनाम पंजाब राज्य (2022) 9 एससीसी 402
 - (स) अजमल बनाम केरल राज्य (2022) 9 एससीसी 766
 - (द) मौहम्मद रफीक उर्फ कल्लू बनाम मध्यप्रदेश राज्य (2021) 10 एससीसी 706
 - Que. In which case Hon'ble Supreme Court held that failure to hold a test identification parade would not make the evidence of identification in Court inadmissible ?
 - (a) Shishpal @ Shishu Vs State (NCT of Delhi) (2022) 9 SCC 782
 - (b) Amrik Singh Vs State of Punjab (2022) 9 SCC 402
 - (c) Ajmal Vs State of Kerala (2022) 9 SCC 766
 - (d) Mohd. Rafiq alias Kallu Vs State of Madhya Pradesh (2021) 10 SCC 706
- प्र. क्र. 39- निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है ?
 - (अ) विबंध– धारा 118
 - (ब) सूचक प्रश्न– धारा 141
 - (स) न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट–धारा 121
 - (द) विशेषज्ञों की राय –धारा 45
 - Que. Which one of the following pair is incorrect?
 - (a) Estoppel- Section 118
 - (b) Leading questions Section 141
 - (c) Judges & Magistrates Section 121

(d) Opinion of experts - Section 45

- प्र.क्र. 40— भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की कौन सी धारा यह प्रावधानित करती है कि ''स्वीकृत तथ्यों को साबित करना आवश्यक नहीं है'' ?
 - (अ) धारा 18
 - (ब) धारा 21
 - (स) धारा 55
 - (द) धारा 58
- Que. Which Section of the Indian Evidence Act, 1872 provides "facts admitted need not be proved"?
 - (a) Section 18
 - (b) Section 21
 - (c) Section 55
 - (d) Section 58
- प्र.क्र. 41— क और ख को ग की हत्या के लिये संयुक्ततः विचारित किया जाता है। यह साबित किया जाता है कि क ने कहा, ''ख और मैंने ग की हत्या की है।'' ख के विरूद्ध इस संस्वीकृति के प्रभाव पर न्यायालय विचार कर सकेगा।
 - (अ) धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के अंतर्गत
 - (ब) धारा 29 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के अंतर्गत
 - (स) धारा 30 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के अंतर्गत
 - (द) धारा 31 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के अंतर्गत
- Que. A and B are jointly tried for the murder of C. It is proved that A said, 'B and I murdered C'. The court may consider the effect of this confession as against B.
 - (a) Under Section 27 of the Indian Evidence Act, 1872
 - (b) Under Section 29 of the Indian Evidence Act, 1872
 - (c) Under Section 30 of the Indian Evidence Act, 1872
 - (d) Under Section 31 of the Indian Evidence Act, 1872
- प्र.क्र. 42— भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के अंतर्गत किसी वाद या कार्यवाही में साक्ष्य दी जा सकती है —
 - (अ) केवल विवाद्यक तथ्यों के संबंध में
 - (ब) केवल सुसंगत तथ्यों के संबंध में
 - (स) विवाद्यक एवं सुसंगत तथ्यों के संबंध में
 - (द) उपरोक्त में से कोई नहीं
 - Que. Under Indian Evidence Act, 1872, evidence may be given in any suit or proceedings in respect of -
 - (a) Facts in issue only
 - (b) Relevant facts only
 - (c) Facts in issue & relevant facts
 - (d) None of the above

- प्र.क्र. 43— भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 74 के अनुसार कौन से दस्तावेज लोक दस्तावेज हैं ?
 - (अ) वे दस्तावेजें जो किसी विदेश के लोक आफिसरों के कार्यों के रूप में या कार्यो के अभिलेख के रूप में हैं।
 - (ब) वे दस्तावेजें जो भारत के किसी भाग के लोक आफिसरों के कार्यों के रूप में या कार्यो के अभिलेख के रूप में हैं।
 - (स) या तो (अ) अथवा (ब)
 - (द) (अ) एवं (ब) दोनों।
 - Que.
- As per section 74 of the Indian Evidence Act, 1872 which documents are public documents ?
 - (a) Documents forming the acts, or records of the acts of public officers of a foreign country.
 - (b) Documents forming the acts, or records of the acts of public officers of any part of India.
 - (c) Either (a) or (b).
 - (d) Both (a) and (b).
- प्र.क. 44— भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 110 में उपबंधित स्वामित्व के बारे में सबूत के भार का नियमपर आधारित है।
 - (अ) कब्जा
 - (ब) स्वत्व
 - (स) अंतरण
 - (द) संविदा
 - Que. The rule of burden of proof as to ownership as provided in Section 110 of the Indian Evidence Act, 1872 is based on
 - (a) Possession
 - (b) Title
 - (c) Transfer
 - (d) Contract
- प्र.क्र. 45— 'अ' का जन्म उसकी माता और 'ब' के बीच विधिमान्य विवाह के कायम रहते हुए हुआ था। यह तथ्य 'अ' के धर्मजत्व का निश्चायक सबूत है। यह एक —
 - (अ) विधि की खण्डनीय उपधारणा है।
 - (ब) तथ्य की उपधारणा है।
 - (स) विधि एवं तथ्य की मिश्रित उपधारणा है।
 - (द) विधि की अखण्डनीय उपधारणा है।
 - Que. 'A' was born during the continuance of a valid marriage between his mother and 'B'. This fact is a conclusive proof of legitimacy of 'A'. It is a -
 - (a) rebuttable presumption of law.
 - (b) presumption of fact.
 - (c) mixed presumption of law and fact.
 - (d) irrebuttable presumption of law

- प्र.क. 46— ''अन्यत्र होने के अभिवाक्'' की प्रकृति क्या है ? इस अभिवाक् के लिए सबूत का भार किस पर है ?
 - (अ) यह भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत सामान्य अपवादों का भाग है और इस अभिवाक् को प्रमाणित करने का भार बचाव पक्ष पर है।
 - (ब) यह भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 12 के अंतर्गत साक्ष्य का नियम है और इस अभिवाक् को प्रमाणित करने का भार अभियोजन पक्ष पर है।
 - (स) यह भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 11 के अंतर्गत साक्ष्य का नियम है और इस अभिवाक् को प्रमाणित करने का भार उक्त अभिवाक् का बचाव लेने वाले व्यक्ति पर है।
 - (द) यह भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 11 के अंतर्गत साक्ष्य का नियम है और इस अभिवाक् को प्रमाणित करने का भार अभियोजन पक्ष पर है।
 - Que. What is the nature of "Plea of alibi"? On whom the burden of proof lies for this plea?
 - (a) It is part of the General Exceptions under the Indian Penal Code, 1860 and the burden of proof for this plea lies on the defence.
 - (b) It is a rule of evidence under Section 12 of the Indian Evidence Act, 1872 and the burden of proof for this plea lies on the prosecution.
 - (c) It is a rule of evidence under Section 11 of the Indian Evidence Act, 1872 and the burden of proof for this plea lies on the person who takes this plea of defence.
 - (d) It is a rule of evidence under Section 11 of the Indian Evidence Act, 1872 and the burden of proof for this plea lies on the prosecution.
- प्र.क. 47— धारा 90क ''पाँच वर्ष पुराने इलेक्ट्रानिक अभिलेख के बारे में उपधारणा'' का प्रावधान भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 में किस वर्ष अन्तःस्थापित किया गया था ?
 - (अ) 1984
 - (ब) 2000
 - (स) 2008
 - (द) 2009
- Que. In which year provision of Section 90A "presumption as to electronic records five years old" was inserted in Indian Evidence Act, 1872 ?
 - (a) 1984
 - (b) 2000
 - (c) 2008
 - (d) 2009
- प्र.क. 48– भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 24 के अंतर्गत, अभियुक्त व्यक्ति द्वारा की गई कोई संस्वीकृति दाण्डिक कार्यवाही में विसंगत होती है यदि ऐसी संस्वीकृति उत्प्रेरणा, धमकी या वचन द्वारा कराई गई है। इस नियम का अपवाद है –
 - (अ) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 23
 - (ब) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 26
 - (स) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 27
 - (द) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 30
- Que. Under Section 24 of the Indian Evidence Act, 1872, a confession made

by an accused person is irrelevant in a criminal proceeding, if the making of the confession have been caused by any inducement, threat or promise. Exception to this rule is -

(a) Section 23 of the Indian Evidence Act, 1872

(b) Section 26 of the Indian Evidence Act, 1872

(c) Section 27 of the Indian Evidence Act, 1872

(d) Section 30 of the Indian Evidence Act, 1872

Indian Penal Code, 1860

- निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है ? प्र.क. 49-
 - (अ) बलवा करना और दंगा क्रमशः भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 146 और धारा 159 में परिभाषित हैं।
 - (ब) बलवा अवश्य ही लोक स्थान पर होना चाहिए, जबकि दंगा किसी भी स्थान पर कारित हो सकता है।
 - (स) बलवा करना दो वर्ष तक के कारावास से दण्डनीय है, जबकि दंगा एक माह तक के कारावास से दण्डनीय है।
 - (द) बलवा पांच या अधिक व्यक्तियों द्वारा कारित किया जाता है, जबकि दंगा दो या अधिक व्यक्तियों द्वारा कारित किया जाता है।

Which of the following statement is incorrect?

- (a) Rioting and affray have been defined in sections 146 and 159 of Indian Penal Code, 1860 respectively.
- (b) Rioting must be committed in a public place, whereas affray may be committed at any place.
- (c) Rioting is punishable with imprisonment which may extend to two years, whereas affray is punishable with imprisonment which may extend to one month.
- (d) Rioting is committed by five or more persons, while affray is committed by two or more persons.
- किस मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि न्यायालय प्र.क. 50-का यह आवश्यक कर्तव्य है कि वह यह सुनिश्चित करे कि हर कीमत पर तथा संदेह का लाभ, यदि कोई हो तो, अभियुक्त को देकर न्याय की विफलता को टाला जाये ?
 - (अ) गुना महतो बनाम झारखण्ड राज्य (2023) 6 एससीसी 817
 - (ब) सुप्रिया जैन बनाम हरियाणा राज्य (2023) 7 एससीसी 711
 - (स) उग्रसेन बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य (2023) 8 एससीसी 109
 - (द) अरविन्द कुमार बनाम राज्य (एनसीटी दिल्ली) (2023) 8 एससीसी 208
 - In which case Hon'ble Supreme Court held that it is bounden duty of Que. court to ensure that miscarriage of justice is avoided at all costs and the benefit of doubt, if any, given to the accused ?

(a) Guna Mahto Vs State of Jharkhand (2023) 6 SCC 817

(b) Supriya Jain Vs State of Haryana (2023) 7 SCC 711

- (c) Uggarsain Vs State of Haryana and others (2023) 8 SCC 109
- (d) Arvind Kumar Vs State (NCT of Delhi) (2023) 8 SCC 208

Que.

- प्र.क. 51– किस मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास के अधिरोपण की न्यूनतम या गैर परिहार योग्य अवधि की शर्त कब लगायी जा सकती है, के संबंध में व्याख्या की गयी है ?
 - (अ) जॉन एंथोनीसामी उर्फ जॉन बनाम राज्य (2023) 3 एससीसी 536
 - (ब) उदय कुमार बनाम तमिलनाडु राज्य 2023 (2) क्राईम्स 58 (एससी)
 - (स) मनोज प्रताप सिंह बनाम राजस्थान राज्य (2022) 9 एससीसी 81
 - (द) विक्रमजीत ककाती बनाम असम राज्य 2022 एससीसी ऑनलाईन एससी 967
 - Que. In which case Hon'ble Supreme Court explained regarding the imposition of minimum or non remittable term of life imprisonment and condition, when can be imposed ?
 - (a) John Anthonisamy alias John Vs State (2023) 3 SCC 536
 - (b) Uday Kumar Vs State of Tamilnadu 2023 (2) Crimes 58 (SC)
 - (c) Manoj Pratap Singh Vs State of Rajasthan (2022) 9 SCC 81
 - (d) Vikramjit Kakati Vs State of Assam 2022 SCC OnLine SC 967
- प्र.क. 52– जब केवल जुर्माने से दंडनीय अपराध में, किसी अपराधी को केवल 100/– रूपये का जुर्माना अदा करने के दंड से दंडित किया गया है, तब यदि वह जुर्माना अदा नहीं करता है, तो जुर्माना देने मे व्यतिक्रम के लिए से अनधिक अवधि के लिये कारावास होगा। (अ) 01 वर्ष
 - (ब) 06 माह
 - (स) 04 माह
 - (द) 02 माह
- Que. When in an offence punishable with fine only, an offender who is sentenced to pay only a fine of rupees hundred, and if he does not pay the fine, the imprisonment in default of payment of fine shall not exceed

......

- (a) One year
- (b) Six months
- (c) Four months
- (d) Two months
- प्र.क. 53 भारतीय दंड संहिता, 1860 की किस धारा के अंतर्गत बलात्संग की पीड़िता की पहचान का प्रकटीकरण दंडनीय अपराध है ?
 - (अ) धारा 225क
 - (ब) धारा 225ख
 - (स) धारा 228क
 - (द) धारा 229क
- Que. Under which section of Indian Penal Code, 1860, disclosure of identity of rape victim is punishable ?
 - (a)Section 225A
 - (b)Section 225B
 - (c)Section 228A

(d)Section 229A

- प्र.क्र. 54– भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 410 के अंतर्गत वह सम्पत्ति ''चुराई हुई सम्पत्ति'' कहलाती है, जिसका कब्जा द्वारा अंतरित किया जाता है।
 - (अ) चोरी
 - (ब) लूट
 - (स) उद्दापन
 - (द) उपरोक्त सभी
- Que.

A property is designated as a "stolen property" under section 410 of Indian Penal Code, 1860 if its possession has been transferred by -

- (a) Theft
- (b) Robbery
- (c) Extortion
- (d) All of the above
- प्र.क. 55 य द्वारा, जो एक बेलिफ है, क विधिपूर्वक गिरफ्तार किया जाता है। उस गिरफ्तारी के कारण क को अचानक और तीव्र आवेश आ जाता है और वह य का वध कर देता है। क द्वारा कौन सा अपराध कारित किया गया है ?
 - (अ) हत्या।
 - (ब) आपराधिक मानव वध।
 - (स) क ने य का अचानक प्रकोपन में वध किया है, इसलिये उसने कोई अपराध नहीं किया है।
 - (द) उपरोक्त में से कोई नहीं।
 - Que. A, is lawfully arrested by Z, a bailiff. A is excited to sudden and violent passion by the arrest, and kills Z. What offence has been committed by A?
 - (a) murder.
 - (b) culpable homicide.
 - (c) A has killed Z in sudden provocation, so he has not committed any offence.
 - (d) None of the above.
- **प्र.क्र. 56** निम्नलिखित मामलों में से किसमें भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 499 एवं धारा 500 की संवैधानिकता को बरकरार रखा गया है ?
 - (अ) सुब्रमनियन स्वामी बनाम भारत संघ, कानून मंत्रालय एवं अन्य (2016) 7 एससीसी 221
 - (ब) जेकब मैथ्यू बनाम स्टेट आफ पंजाब एवं एक अन्य (2005) 6 एससीसी 1
 - (स) ब्रज भूषण एवं एक अन्य बनाम दिल्ली राज्य 1950 एससीसी 449
 - (द) मनोज नरूला बनाम भारत संघ (2014) 9 एससीसी 1
 - Que. In which of the following cases the constitutionality of sections 499 and 500 of the Indian Penal Code, 1860 has been upheld?
 - (a) Subramanian Swamy Vs Union of India, Ministry of Law and Others (2016) 7 SCC 221
 - (b) Jacob Mathew Vs State of Punjab and another (2005) 6 SCC 1

- (c) Brij Bhushan and another Vs State of Delhi 1950 SCC 449
- (d) Manoj Narula Vs Union of India (2014) 9 SCC 1
- 'क' ऐसे नगों को, जिनको वह जानता है कि वे हीरे नहीं हैं, हीरों के रूप में गिरवी रखकर प्र.क. 57-'य' से साशय प्रवंचना करता है, और तद्वारा धन उधार देने के लिए य को बेईमानी से उत्प्रेरित करता है। 'क' ने अपराध किया है -(अ) संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग

 - (ब) आपराधिक न्यासमंग
 - (स) छल
 - (द) रिष्टि
- A, by pleading as diamonds article which he knows are not diamonds, Que. intentionally deceives Z, and thereby dishonestly induces Z to lend money. A has committed the offence of -
 - (a) Dishonest misappropriation of property
 - (b) Criminal breach of trust
 - (c) Cheating
 - (d) Mischief
- निम्नलिखित में से कौन सा तत्त्व भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 326क के अंतर्गत म.क. 58-वर्णित अपराध का एक आवश्यक तत्व नहीं है ?
 - (अ) आंशिक नुकसान, अंगविकार या जलना
 - (ब) विकलांगता, विद्रूपण या निःशक्तता
 - (स) नुकसान, विद्रपण या घोर उपहति
 - (द) केवल शारीरिक दर्द
- Which one of the following element is not an essential element of the Oue. offence mentioned under Section 326-A of the Indian Penal Code, 1860?
 - (a) Partial damage, deformity or burn
 - (b) Maiming, disfigurement or disablement
 - (c) Damage, disfigurement or grievous hurt
 - (d) Only bodily Pain

Negotiable Instrument Act, 1881

Chapter-17

- किस मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि परक्राम्य म.क. 59-लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 139 की उपधारणा का खण्डन दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 313 के अंतर्गत कथन अभिलेखन मात्र करवाकर नहीं किया जा सकता ?
 - (अ) डॉ० नरेश कुमार मंगला बनाम अनीता अग्रवाल एवं अन्य (2021) 15 एससीसी 777
 - (ब) वाणी एग्रो इण्टरप्राइजेस बनाम गुजरात राज्य एवं एक अन्य (2021) 16 एससीसी 132
 - (स) सुमेती विज बनाम पैरामाउंट टेक फेब इण्डस्ट्रीज (2022) 15 एससीसी 689
 - (द) कल्याणी राजन बनाम इन्द्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल एवं अन्य (2024) 3 एससीसी 37
- In which case Hon'ble Supreme Court held that presumption under Que. Section 139 of Negotiable Instrument Act, 1881 cannot be rebutted just by recording statement under Section 313 of Criminal Procedure Code,

1973?

- (a) Dr Naresh Kumar Mangla Vs Anita Agarwal and Others (2021) 15 SCC 777
- (b) Vani Agro Enterprises Vs State of Gujrat and Another (2021) 16 SCC 132
- (c) Sumeti Vij Vs Paramount Tech Fab Industries (2022) 15 SCC 689
- (d) Kalyani Rajan Vs Indraprastha Apollo Hospital and Others (2024) 3 SCC 37
- प्र.क्र. 60— धारा 141 परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 द्वारा अपराध किये जाने से संबंधित है। (अ) शासकीय सेवक
 - (ब) व्यक्ति और कंपनियों दोनों
 - (स) व्यक्ति
 - (द) कपंनियों •
- Que. Section 141 of The Negotiable Instruments Act, 1881 deals with the offences by
 - (a) Government servant.
 - (b) Individual and companies both.
 - (c) Individual.
 - (d) Companies.

Electricity Act, 2003

- प्र.क्र. 61– ऐसा कोई उपभोक्ता, जो विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 42 (5) के अधीन अपनी शिकायत का प्रतितोष नहीं मिलने के कारण व्यथित है, ऐसे प्राधिकारी को अपनी शिकायत के प्रतितोष के लिये अभ्यावेदन कर सकेगा जो के नाम से ज्ञात हो।
 - (अ) विद्युत नियामक आयोग
 - (ब) ओम्बूड्समैन
 - (स) राज्य आयोग
 - (द) राज्य विद्यूत वितरण कंपनी
- Que. Any consumer who is aggrieved by non-redressal of his grievances under section 42 (5) of the Electricity Act, 2003 may make a representation for the redressal of his grievance to an authority to be known as
 - (a) Electricity Regulatory Commission
 - (b) Ombudsman
 - (c) State Commission
 - (d) State Electricity Distribution Company
- प्र.क. 62- एक उपभोक्ता द्वारा विद्युत चोरी के अपराध का प्रशमन किया जा सकता है-
 - (अ) मात्र एक बार
 - (ब) मात्र तीन बार
 - (स) मात्र पांच बार
 - (द) कोई प्रतिबंध नहीं है।

- Que. Compounding of an offence of theft of electricity is allowed for a consumer -
 - (a) Only once
 - (b) Only three times
 - (c) Only five times
 - (d) There is no restriction.

The Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985

- प्र. क्र. 63— धारा 15 स्वापक ओषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अंतर्गत पोस्त त्रण की अल्प मात्रा के संबंध में उल्लंघन के लिए दंड है —
 - (अ) ऐसा कठोर कारावास, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो दस हजार रूपये तक का हो सकेगा, अथवा दोनों।
 - (ब) ऐसा साधारण कारावास, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो दस हजार रूपये तक का हो सकेगा, अथवा दोनों।
 - (स) ऐसा कठोर कारावास, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पच्चीस हजार रूपये तक का हो सकेगा, अथवा दोनों।
 - (द) ऐसा कठोर कारावास, जिसकी अवधि छः माह तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो दस हजार रूपये तक का हो सकेगा, अथवा दोनों।
 - Que. Under section 15 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 punishment for contravention in relation to small quantity of poppy straw is -
 - (a) with rigorous imprisonment for a term which may extend to one year, or with fine which may extend to ten thousand rupees, or with both.
 - (b) with simple imprisonment for a term which may extend to one year, or with fine which may extend to ten thousand rupees, or with both.
 - (c) with rigorous imprisonment for a term which may extend to one year, or with fine which may extend to twenty five thousand rupees, or with both.
 - (d) with rigorous imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to ten thousand rupees, or with both.
- प्र.क. 64— स्वापक ओषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अंतर्गत, कोकेन की कितनी मात्रा व्यावसायिक मात्रा मानी जाएगी ?
 - (अ) 5 ग्राम
 - (ब) 25 ग्राम
 - (स) 50 ग्राम
 - (द) 150 ग्राम
- Que. Under the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985, how much quantity of Cocaine would be considered as commercial quantity? (a) 5 Grams
 - (b) 25 Grams

- (c) 50 Grams
- (d) 150 Grams
- प्र.क. 65— स्वापक ओषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 42 के प्रावधान प्रयोज्य नहीं होते हैं —
 - (अ) अकस्मात् बरामदगी पर
 - (ब) मामूली तौर के निवास स्थान की तलाशी पर
 - (स) होटल के कमरे की तलाशी पर
 - (द) लोक स्थान पर ट्रक की तलाशी पर
 - Que. Provision of Section 42 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 are not applicable to -
 - (a) chance recovery
 - (b) search in a place of ordinary residence
 - (c) search in a room of a hotel
 - (d) search of a truck at public place
- प्र.क. 66— धारा 33 स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अंतर्गत दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 360 और अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 के प्रावधान लागू होंगे—
 - (अ) यदि एक व्यक्ति स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 20 या 21 के अंतर्गत दोषसिद्ध ठहराया गया है।
 - (ब) यदि एक व्यक्ति स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 22 या 23 के अंतर्गत दोषसिद्ध ठहराया गया है।
 - (स) यदि एक व्यक्ति स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 24 या 25 के अंतर्गत दोषसिद्ध ठहराया गया है।
 - (द) यदि एक व्यक्ति स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 26 या 27 के अंतर्गत दोषसिद्ध ठहराया गया है।
 - Que. Under Section 33 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 the provisions of Section 360 of the Code of Criminal Procedure, 1973 and the Probation of offenders Act, 1958 shall apply -
 - (a) If a person is convicted of an offence punishable under section 20 or 21 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985.
 - (b) If a person is convicted of an offence punishable under section 22 or 23 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985.
 - (c) If a person is convicted of an offence punishable under section 24 or 25 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985.
 - (d) If a person is convicted of an offence punishable under section 26 or 27 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985.
- प्र.ज्ञ. 67– किस मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि स्वापक औषधियों या मनोत्तेजक पदार्थों के मिश्रण की एक या अधिक तटस्थ पदार्थों के साथ जप्ती के मामले में, तटस्थ पदार्थों की मात्रा को आपत्तिजनक ओषधि की मात्रा के साथ, वह ''अल्प मात्रा'' या ''वाणिज्यिक मात्रा'' होगी, के निर्धारण के लिए विचार में लिया जाना चाहिए ?
 - (अ) गुरमीत सिंह बनाम पंजाब राज्य (2021) 6 एससीसी 108
 - (ब) हीरा सिंह एवं एक अन्य बनाम भारत संघ एवं एक अन्य (2020) 20 एससीसी 272
 - (स) सतबीर सिंह एवं एक अन्य बनाम हरियाणा राज्य (2021) 6 एससीसी 1

- (द) मोहनलाल बनाम राजस्थान राज्य एवं एक अन्य (2019) 15 एससीसी 584
- Que. In which case it was held that in case of seizure of a mixture of narcotic drugs or psychotropic substances with one or more neutral substance(s), the quantity of the neutral substance(s), should be taken into consideration along with the weight of the offending drug, while determining whether it amounted to "small quantity" or "commercial quantity"?
 - (a) Gurmeet Singh Vs State of Punjab (2021) 6 SCC 108
 - (b) Hira Singh and Another Vs Union of India and Another (2020) 20 SCC 272
 - (c) Satbir Singh and Another Vs State of Haryana (2021) 6 SCC 1
 - (d) Mohanlal Vs state of Rajasthan and Another (2019) 15 SCC 584

The Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989

- प्र.क्र. 68– अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 12 (2) के अंतर्गत लिये जाने वाले माप या फोटो का प्रतिरोध या उससे इंकार करना अपराध समझा जायेगा –
 - (अ) भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 186 के अंतर्गत
 - (ब) भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 187 के अंतर्गत
 - (स) भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 188 के अंतर्गत
 - (द) भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 189 के अंतर्गत
- Que. Resistance to or refusal to allow the taking of measurements or photographs under section 12 (2) of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 shall be deemed to be an offence under -
 - (a) Section 186 of Indian Penal Code, 1860
 - (b) Section 187 of Indian Penal Code, 1860
 - (c) Section 188 of Indian Penal Code, 1860
 - (d) Section 189 of Indian Penal Code, 1860
- प्र.क्र. 69– अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन अधिनियम 2015 (2016 का 1) द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की किन धाराओं में संशोधन किया गया है ?
 - (अ) धारा 18, 20 और 21
 - (ब) धारा 5, 6, 7 और 9
 - (स) धारा 2, 3, 4 और 10
 - (द) उपरोक्त सभी
- Que. Which sections of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 were amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Amendment Act 2015 (1 of 2016)?
 - (a) Section 18, 20 and 21
 - (b) Section 5, 6, 7 and 9

- (c) Section 2, 3, 4 and 10(d) All of the above
- प्र.क. 70— "अ" जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है, "ब" जो अनुसूचित जनजाति का निर्दोष सदस्य है, के विरूद्ध हत्या के अपराध के मामले में मिथ्या साक्ष्य देता है, जिसके फलस्वरूप "ब" दोषसिद्ध पाया जाता है और उसे फॉसी दी जाती है। "अ" निम्न दण्ड का भागी है –
 - (अ) मृत्यूदण्ड अथवा आजीवन कारावास
 - (ब) मृत्युदण्ड
 - (स) 20 वर्ष तक की अवधि का सश्रम कारावास
 - (द) आजीवन कारावास अथवा 10 वर्ष से अन्यून अवधि का सश्रम कारावास
 - Que.

"A" who is not being a member of Scheduled Caste or Scheduled tribe, gives false evidence in a case of murder against "B" who is an innocent member of Scheduled tribe, as a result of which "B" is found guilty and the capital punishment is imposed and executed against him. "A" will be punished with the following punishment of -

(a) death or life imprisonment.

(b) death.

- (c) rigorous imprisonment upto 20 years.
- (d) life imprisonment or rigorous imprisonment not less than 10 years.
- प्र.क. 71- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 15क (8) (सी) के अधीन प्राप्त शिकायत में जॉच या अन्वेषण ऐसे न्यायालय द्वारा
 - (अ) मुख्य मामले से पृथक रूप से विचारित किया जायेगा।
 - (ब) मुख्य मामले के साथ विचारित किया जायेगा।
 - (स) पुलिस रिपोर्ट के आधार पर विचारित किया जायेगा।
 - (द) उपरोक्त में से कोई नहीं।
 - Que. The inquiry or investigation into the complaint received under section 15A (8) (c) of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 by such Court.

(a) shall be tried separately from the main case.

- (b) shall be tried with the main case.
- (c) shall be tried on the basis of police report.
- (d) None of the above.
- प्र.क. 72– विशेष न्यायालय, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अधीन किसी अपराध का विचारण, यथासंभव, पूरा करेगा।
 - (अ) अपराध का संज्ञान लिये जाने की तारीख से दो माह की अवधि के भीतर
 - (ब) आरोप पत्र प्रस्तुत किये जाने की तारीख से दो माह की अवधि के भीतर
 - (स) आरोप पत्र प्रस्तुत किये जाने की तारीख से छः माह की अवधि के भीतर
 - (द) आरोप पत्र प्रस्तुत किये जाने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर
 - Que. The Special Court in relation to an offence under the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act 1989 shall as far as possible complete the trial

- (a) within a period of two months from the date of taking cognizance of an offence.
- (b) within a period of two months from the date of filing of the charge sheet.
- (c) within a period of six months from the date of filing of the charge sheet.
- (d) within a period of one year from the date of filing of the charge sheet.
- प्र.क. 73– कोई व्यक्ति जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अध्याय 2 के अधीन किसी अपराध के लिये पहले ही दोषसिद्ध हो चुका है, दूसरे अपराध या उसके पश्चातवर्ती किसी अपराध के लिये दोषसिद्ध किया जाता है, तब वह –
 - (अ) कारावास से, जिसकी अवधि छः माह से कम की नहीं होगी, किंतु जो उस अपराध के लिये उपबंधित दंड तक हो सकेगी, दंडनीय होगा।
 - (ब) कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो उस अपराध के लिये उपबंधित दंड तक हो सकेगी, दंडनीय होगा।
 - (स) कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो उस अपराध के लिये उपबंधित दंड तक हो सकेगी, दंडनीय होगा।
 - (द) उपरोक्त में से कोई नहीं।
 - Que. Whoever, having already been convicted of an offence under chapter II of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act 1989 is convicted for the second offence or any offence subsequent to the second offence, shall be punishable with -
 - (a) imprisonment for a term which shall not be less than six months but which may extend to the punishment provided for that offence.
 - (b) imprisonment for a term which shall not be less than one year but which may extend to the punishment provided for that offence.
 - (c) imprisonment for a term which shall not be less than two years but which may extend to the punishment provided for that offence.
 - (d) None of the above.
- प्र.क. 74– अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के नियम बनाने हेतु किसे प्राधिकृत किया गया है ?
 - (अ) राज्य सरकार
 - (ब) केन्द्रीय सरकार
 - (स) अ एवं ब दोनों
 - (द) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग
- Que. Who is authorised to make rules for carrying out the purposes of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989?
 - (a) State Government
 - (b) Central Government
 - (c) Both a and b

(d) National Commission for Scheduled Castes and Scheduled Tribes

- प्र.क. 75- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(2) (v) में दंड है-
 - (अ) मृत्यु या आजीवन कारावास और जुर्माना
 - (ब) आजीवन कारावास और जुर्माना
 - (स) दस वर्ष तक का कारावास और जुर्माना
 - (द) सात वर्ष तक का कारावास और जुर्माना
- Que. How much punishment is prescribed for offence under Section 3(2) (v) the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 ?
 - (a) Death or imprisonment for life and fine
 - (b) Imprisonment for life and fine
 - (c) Imprisonment upto ten years and fine
 - (d) Imprisonment upto seven years and fine
- प्र.क. 76- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अंतर्गत किसी विशेष न्यायालय या किसी अनन्य विशेष न्यायालय के किसी निर्णय, दंडादेश या आदेश, जो अंतवर्ती आदेश नहीं है, के विरुद्ध अपील उच्च न्यायालय में होगी –
 - (अ) केवल तथ्यों के संबंध में
 - (ब) केवल विधि के संबंध में
 - (स) तथ्यों और विधि दोनो के संबंध में
 - (द) केवल पुनरीक्षण पोषणीय होगी
- Que. Under the Schedule Castes and Scheduled Tribes (Prevention of atrocities) Act, 1989 an appeal shall lie, from any judgment, sentence or order, not being an interlocutory order, of a special Court or an Exclusive Special Court, to the High Court -
 - (a) Only on facts
 - (b) Only on law
 - (c) Both on facts and on law
 - (d) Only revision will lie
- प्र.क्र. 77– दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 360 एवं अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 के उपबंध ऐसे व्यक्ति के संबंध में लागू होंगे, जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अधीन कोई अपराध करने का दोषी पाया जाता है, यदि वह व्यक्ति –
 - (अ) 18 वर्ष से अधिक आयु का है।
 - (ब) 20 वर्ष से अधिक आयु का है।
 - (स) 21 वर्ष से अधिक आयु का है।
 - (द) उपरोक्त में से कोई नहीं।
 - Que. The provisions of Section 360 of the Code of Criminal Procedure, 1973 and the Probation of Offenders Act, 1958 shall apply to any person guilty of an offence under the Scheduled Caste and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989, if the person is -

(a) Above the age of 18 years.

(b) Above the age of 20 years.

(c) Above the age of 21 years.

(d) None of the above.

Hindu Marriage Act, 1955, Hindu Succession Act, 1956 & Hindu Adoption & Maintenance Act, 1956

- प्र.क. 78- यदि दत्तक किसी नारी द्वारा लिया जाना है और दत्तक लिया जाने वाला व्यक्ति पुरूष है तो दत्तक माता दत्तक लिये जाने वाले व्यक्ति से आयु में कम से कम बड़ी हो। (अ) 15 वर्ष
 - (ब) 17 वर्ष
 - (स) 19 वर्ष
 - (द) 21 वर्ष
- Que. If the adoption is by a female and the person to be adopted is a male, the adoptive mother is at least older than the person to be adopted.
 - (a) 15 years
 - (b) 17 years
 - (c) 19 years
 - (d) 21 years
- प्र.ज़. 79- किस मामले में माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश द्वारा यह अभिनिर्धारित किया है कि हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 11 के अंतर्गत पत्नि द्वारा पति के दूसरे विवाह को अवैध एवं शून्य घोषित कराने हेतु हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 23-क के अधीन प्रतिदावा पोषणीय है ?
 - (अ) रिचा बनाम प्रद्युमन 2023 (1) एमपीएलजे 421
 - (ब) रितु बनाम सुशील 2023 (1) एमपीएलजे 255
 - (स) आनंद कुमार एवं एक अन्य बनाम लखन 2023 (1) एमपीएलजे 457
 - (द) भगवंतीबाई एवं अन्य बनाम राजेन्द्र कुमार एआईआर 2022 एमपी 120
- Que. In which case Hon'ble High Court of Madhya Pradesh held that Counter claim by wife under Section 23-A of the Hindu Marriage Act, 1955 is maintainable to declare second marriage of her husband illegal and void under section 11 of the Hindu Marriage Act, 1955 ?
 - (a) Richa Vs Praduman 2023 (1) MPLJ 421
 - (b) Ritu Vs Sushil 2023 (1) MPLJ 255
 - (c) Anand Kumar and Anothers Vs Lakhan 2023 (1) MPLJ 457
 - (d) Bhagwantibai and Others Vs Rajendra Kumar AIR 2022 MP 120
- प्र.क्र. 80- किस मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि उत्तराधिकार अधिनियम 1956 अनुसूचित जनजाति की महिला सदस्यों पर लागू नहीं होता है ?
 - (अ) अविनाश कुमार राय बनाम डॉ. कुमारी छाया राय एवं अन्य 2023 (1) एमपीएलजे 515
 - (ब) सी. एस. रामास्वामी बनाम व्ही. के. सैंथिल एवं अन्य 2022 एस सी सी ऑनलाइन एस सी

1330

- (स) कमला नेती (मृत) द्वारा विधिक प्रतिनिधिगण बनाम विशेष भूमि अधिगृहण अधिकारी एवं अन्य (2023) 3 एससीसी 528
- (द) बासवराज बनाम पद्मावती एवं एक अन्य (2023) 4 एससीसी 239
- Que. In which case Hon'ble Supreme Court held that the Hindu Succession Act, 1956 is not applicable on female members of Scheduled Tribe ?
 - (a) Avinash Kumar Ray Vs Dr. Ku. Chhaya Ray and Others 2023 (1) MPLJ 515
 - (b) C. S. Ramaswamy Vs V. K. Senthil and Others 2022 SCC OnLine SC 1330
 - (c) Kamla Neti (Dead) Through Legal Representatives Vs Special Land Acquisition Officer and Others (2023) 3 SCC 528
 - (d) Basavaraj Vs Padmavathi and Another (2023) 4 SCC 239

प्र.क. 81— हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 3(1) (क) परिभाषित करती है—

- (अ) गोत्रज
- (ब) बन्ध्र
- (स) पूर्णरक्त
- (द) अर्धरक्त

Que. Section 3 (1) (a) of the Hindu Succession Act, 1956 defines -

- (a) Agnate
- (b) Cognate
- (c) Full Blood
- (d) Half blood
- प्र.क. 82— हिन्दू दत्तक तथा भरण—पोषण अधिनियम, 1956 के अंतर्गत कोई हिन्दू महिला, यदि उसका पति जीवित हो, दत्तक ग्रहण में पुत्र या पुत्री को ले सकती है —
 - (अ) अपने पति की सहमति से
 - (ब) अपने पति की सहमति के बिना
 - (स) एक हिन्दू महिला दत्तक ग्रहण नहीं कर सकती
 - (द) उपरोक्त में से कोई नहीं
 - Que. Any female Hindu, if she has a husband living has the capacity to take a son or daughter in adoption under the Hindu Adoption & Maintenance Act, 1956 -
 - (a) with the consent of her husband
 - (b) without the consent of her husband
 - (c) A female Hindu cannot adopt a child
 - (d) none of the above
- प्र.क्र. 83— हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 16 के अंतर्गत किन विवाहों के अपत्यों की धर्मजता के बारे में उपबंधित किया गया है ?
 - (अ) शून्य विवाह
 - (ब) शून्यकरणीय विवाह

- (स) शून्य और शून्यकरणीय विवाह दोनों
- (द) वैध विवाह
- Que. Section 16 of the Hindu Marriage Act, 1955 provides regarding the legitimacy of children of which marriages ?
 - (a) void marriages
 - (b) voidable marriages
 - (c) void and voidable marriages both
 - (d) valid marriages
- प्र.क. 84– हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 14 के अंतर्गत हिन्दू नारी के कब्जे में की कोई भी सम्पत्ति, चाहे वह इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व या पश्चात् अर्जित की गई हो, उसके द्वारा धारित की जाएगी।
 - (अ) पूर्ण स्वामी के तौर पर
 - (ब) परिसीमित स्वामी के तौर पर
 - (स) अपने पति के साथ सह-स्वामी के तौर पर
 - (द) उपरोक्त में से कोई नहीं
- Que. Under Section 14 of the Hindu Succession Act, 1956, any property possessed by a female Hindu, whether acquired before or after the commencement of this Act, shall be held by her as
 - (a) full owner
 - (b) limited owner
 - (c) co-owner with her husband
 - (d) None of the above
- प्र.क. 85 विधिमान्य दत्तक संबंधी अपेक्षाएँ क्या है ?
 - (अ) दत्तक लेने वाला व्यक्ति दत्तक लेने की सामर्थ्य और अधिकार रखता हो।
 - (ब) दत्तक देने वाला व्यक्ति ऐसा करने की सामर्थ्य रखता हो।
 - (स) दत्तक व्यक्ति दत्तक में लिए जाने योग्य हो।
 - (द) उपरोक्त सभी।
- Que. What are the requisites of a valid adoption?
 - (a) The person adopting has the capacity, and also the right, to take in adoption.
 - (b) The person giving in adoption has the capacity to do so.
 - (c) The person adopted is capable of being taken in adoption.
 - (d) All of the above.
- प्र.क्र. 86 निम्नलिखित में से किस महत्वपूर्ण निर्णय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ''हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13–ख (2) में वर्णित अवधि आज्ञापक नहीं है बल्कि निदेशात्मक है, न्यायालय के पास यह विकल्प खुला है कि वह प्रत्येक मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों में अपने विवेकाधिकार का उपयोग करे जहाँ पक्षकारों के पुनर्मिलन की कोई की संभावना न हो और वैकल्पिक पुनर्वास की संभावना हो।''
 - (अ) अमरदीप सिंह बनाम हरवीन कौर (2017) 8 एससीसी 746
 - (ब) विकास अग्रवाल बनाम अनुभा (2002) 4 एससीसी 468
 - (स) नीरजा सर्राफ (श्रीमती) बनाम जयंत व्ही. सर्राफ एवं एक अन्य (1994) 6 एससीसी 461

(द) सरिता शर्मा बनाम सुशील शर्मा (2000) 3 एससीसी 14

- Que. In which of the following landmark Judgment Hon'ble Supreme Court held that "The period mentioned in Section 13-B (2) of Hindu Marriage Act 1955 is not mandatory but directory, it will be open to the court to exercise its discretion in the facts and circumstances of each case where there is no possibility of parties resuming cohabitation and there are chances of alternative rehabilitation"?
 - (a) Amardeep Singh Vs Harveen Kaur (2017) 8 SCC 746
 - (b) Vikas Aggarwal Vs Anubha (2002) 4 SCC 468
 - (c) Neerja Saraph (Smt) Vs Jayant V. Saraph and another (1994) 6 SCC 461
 - (d) Sarita Sharma Vs Sushil Sharma (2000) 3 SCC 14
- प्र.क्र. 87– हिन्दू दत्तक तथा भरण–पोषण अधिनियम, 1956 की किस धारा के अंतर्गत अपत्यों और वृद्ध जनकों के भरण–पोषण का प्रावधान किया गया है ?
 - (अ) धारा 18
 - (ब) धारा 19
 - (स) धारा 20
 - (द) धारा 21
 - Que. Under which section of the Hindu Adoptions and Maintenance Act, 1956 maintenance of children and aged parents is provided ?
 - (a) Section 18
 - (b) Section 19
 - (c) Section 20
 - (d) Section 21

Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012

- प्र.क. 88- विशेष न्यायालय यथासंभव अपराध का संज्ञान लिये जाने की तारीख से विचारण को पूरा करेगा।
 - (अ) तीन माह की अवधि के भीतर
 - (ब) छः माह की अवधि के भीतर
 - (स) एक वर्ष की अवधि के भीतर
 - (द) दो वर्ष की अवधि के भीतर

Que. The Special Court shall complete the trial, as far as possible from the date of taking cognizance of the offence.

- (a) within a period of three months
- (b) within a period of six months
- (c) within a period of one year
- (d) within a period of two years
- प्र.ज्ञ. 89— जो कोई अश्लील प्रयोजनों के लिए किसी बालक या बालकों का उपयोग करेगा, वह ऐसे कारावास से, दण्डित किया जाएगा जिसकी अवधि — (अ) तीन वर्ष से कम नहीं होगी और जुर्माना भी

- (ब) पांच वर्ष से कम नहीं होगी और जुर्माना भी
- (स) दस वर्ष से कम नहीं होगी और जुर्माना भी
- (द) बीस वर्ष से कम नहीं होगी और जुर्माना भी
- Que. Whoever uses a child or children for pornographic purposes shall be punished with imprisonment for a term :
 - (a) Which shall not be less than three years and fine also
 - (b) Which shall not less than five years and fine also
 - (c) Which shall not less than ten years and fine also
 - (d) Which shall not less than twenty years and fine also
- प्र.क्र. 90— लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के किस मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि भले ही अभियुक्त जीवन में आगे बढ़ गया हो, उसे विहित न्यूनतम दण्ड से कम दण्ड नहीं दिया जा सकता है ?
 - (अ) अशोक शिवक्रमानी और अन्य बनाम आंध्रप्रदेश राज्य एवं अन्य (2023) 8 एससीसी 473
 - (ब) मौहम्मद अशफाक बनाम झारखण्ड राज्य और अन्य एआईआर 2023 एससी 3610
 - (स) रमेश कुमार बनाम एनसीटी आफ दिल्ली राज्य (2023) 7 एससीसी 461
 - (द) उत्तरप्रदेश राज्य बनाम सोनू कुशवाह (2023) 7 एससीसी 475
- Que. In which case of the Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012 Hon'ble Supreme Court held that even though the accused may have moved ahead in life, sentence lesser than the minimum prescribed cannot be imposed ?
 - (a) Ashok Shivakrimani and Others Vs State of Andhra Pradesh and Others (2023) 8 SCC 473
 - (b) Mohammed Ashfaq Vs State of Jharkhand and Others AIR 2023 SC 3610
 - (c) Ramesh Kumar Vs State NCT of Delhi (2023) 7 SCC 461
 - (d) State of Uttar Pradesh Vs Sonu Kushwah (2023) 7 SCC 475
- प्र.क्र. 91– विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के अंतर्गत किसी अपराध के विचारण के प्रयोजन के लिए दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुसरण करेगा –
 - (अ) समन मामलों के विचारण
 - (ब) वारंट मामलों के विचारण
 - (स) संक्षिप्त विचारण
 - (द) सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण
 - Que. For the purpose of the trial of any offence under Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012 the Special Court shall follow the procedure specified in Code of Criminal Procedure, 1973 for -
 - (a) trial of Summons cases.
 - (b) trial of Warrant cases.
 - (c) Summary trial.
 - (d) trial before a Court of Session.

- प्र.क. 92- लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के अनुसार निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है ?
 - (अ) विशेष न्यायालयों को अभिहित किया जाना– धारा 28
 - (ब) अधिनियम के बारे में लोक जागरूकता— धारा 43
 - (स) विचारण का बंद कमरे में संचालन- धारा 40
 - (द) अधिनियम के क्रियान्वयन की मानीटरिंग— धारा 44
- Que. Which of the following is an incorrect option with regard to Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012 ?
 - (a) Designation of Special Courts Section 28
 - (b) Public Awareness about Act Section 43
 - (c) Trials to be conducted in camera Section 40
 - (d) Monitoring of implementation of Act Section 44

प्र.क्र. 93– किसी बालक पर किया गया प्रवेशन लैंगिक हमला, गुरूतर प्रवेशन लैंगिक हमला होगा, यदि बालक की आयु –

- (अ) 12 वर्ष से कम हो।
- (ब) 13 वर्ष से कम हो।
- (स) 14 वर्ष से कम हो।
- (द) 16 वर्ष से कम हो।
- Que. Penetrative sexual assault on a child becomes aggravated penetrative sexual assault, if the age of child is -
 - (a) below 12 years.
 - (b) below 13 years.
 - (c) below 14 years.
 - (d) below 16 years.
- प्र.क्र. 94— बालक के कथन को अभिलिखित किये जाने के संबंध में निम्न मे से कौन सा विकल्प सही नहीं है ?
 - (अ) अन्वेषण करने वाला पुलिस अधिकारी, बालक की परीक्षा करते समय यह सुनिश्चित करेगा कि बालक किसी भी समय पर अभियुक्त के किसी भी प्रकार से संपर्क में न आए।
 - (ब) किसी बालक को किसी भी कारण से रात्रि में किसी पुलिस स्टेशन में निरूद्ध नहीं किया जाएगा।
 - (स) बालक के कथन को, बालक के निवास पर या ऐसे स्थान पर जहां वह साधारणतया निवास करता है या उसकी पसंद के स्थान पर और यथासाध्य, उपनिरीक्षक की पंक्ति से अन्यून किसी महिला पुलिस अधिकारी द्वारा अभिलिखित किया जाएगा।
 - (द) बालक के कथन को, अभिलिखित किये जाते समय पुलिस अधिकारी वर्दी में होगा।

Que.

- Which of the following options is incorrect regarding, recording of statement of a child-
- (a) The Police officer making the investigation, shall, while examining the child, ensure that at no point of time the child come in the contact in any way with the accused.
- (b) No child shall be detained in the police station in the night for any reason.
- (c) The statement of the child shall be recorded at the residence of the

child or at a place where he usually resides or at the place of his choice and as far as practicable by a woman police officer not below the rank of sub- inspector.

(d) The Police officer while recording the statement of the child shall be in uniform.

Juvenile Justice (Care and protection of Children) Act, 2015

- प्र.क. 95 किशोर न्याय (बच्चों के देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 94 के अंतर्गत आयु अवधारण की प्रक्रिया में निम्नलिखित को वरीयता के क्रम में व्यवस्थित करें—
 - 1. निगम या नगर पालिका प्राधिकारी या पंचायत द्वारा दिया गया जन्म प्रमाण पत्र।

2. विद्यालय से प्राप्त जन्म तारीख प्रमाणपत्र।

- 3. समिति या बोर्ड के आदेश पर की गई अस्थि जांच।
- (अ) 3, 2 एवं 1
- (ब) 1, 2 एवं 3
- (स) २, ३ एवं १
- (द) 2, 1 एवं 3
- Que. In the process of age determination under Section 94 of Juvenile Justice (care and protection of Children) Act, 2015, arrange the following in order of precedence -
 - 1. The birth certificate given by a corporation or municipal authority or a panchayat.
 - 2. The date of birth certificate from the school.
 - 3. Ossification test conducted on the orders of the Committee or the Board.
 - (a) 3, 2 and 1
 - (b) 1, 2 and 3
 - (c) 2, 3 and 1
 - (d) 2, 1 and 3
- - (ब) प्रत्येक तीन माह में
 - (स) प्रत्येक छः माह में
 - (द) प्रत्येक वर्ष
- Que. The High Level Committee shall review the number of cases pending before the Juvenile Justice Board, duration of such pendency, nature of pendency and reasons thereof in
 - (a) Every month
 - (b) Every three months
 - (c) Every six months

(d) Every year

- प्र.क्र. 97— विधि का उल्लंघन करने वाले बालक की आयु के अवधारण के लिए प्रासंगिक तारीख क्या है ?
 - (अ) वह तारीख जिस दिन आरोप तय किया गया है।
 - (ब) निर्णय की तारीख।
 - (स) अपराध किये जाने की तारीख।
 - (द) दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने की तारीख।
- Que. What is the relevant date for determination of age of the Child in conflict with law ?
 - (a) Date on which charge is framed.
 - (b) Date of judgment.
 - (c) Date of commission of offence.
 - (d) Date of hearing on the question of sentence.

Information Technology Act, 2000 - Chapter-11

- प्र.क. 98- निम्नलिखित में से कौन सा सही है ?
 - सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 भारत से बाहर किये गये अपराध पर भी लागू होगा, जब :--
 - (अ) अभियुक्त केवल भारतीय राष्ट्रीयता का हो।
 - (ब) यदि उस कार्य या आचरण में, जिससे यह अपराध या उल्लंघन होता है, विश्व में किसी भी स्थान पर अवस्थित कोई कम्प्यूटर, कम्प्यूटर प्रणाली या कम्प्यूटर नेटवर्क अंतर्वलित हो।
 - (स) यदि उस कार्य या आचरण में, जिससे यह अपराध या उल्लंघन होता है, भारत में अवस्थित कोई कम्प्यूटर, कम्प्यूटर प्रणाली या कम्प्यूटर नेटवर्क अंतर्वलित हो।
 - (द) उपरोक्त में से कोई नहीं।
 - Que. Which one of the following is correct?

The Information Technology Act, 2000 applies also to an offence committed outside India when the :-

- (a) Accused is of Indian nationality only.
- (b) Act or conduct constituting the offence or contravention involves a computer, computer system or computer network located anywhere in the world.
- (c) Act or conduct constituting the offence or contravention involves a computer, computer system or computer network located in India.
- (d) None of the above.
- प्र.क. 99- सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66ड. के अंतर्गत एकांतता का अतिक्रमण करने का अपराध दण्डनीय है –
 - (अ) ऐसे कारावास से, जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से, जो दो लाख रूपये से अधिक का नहीं हो सकेगा।
 - (ब) ऐसे कारावास से, जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से, जो एक लाख रूपये से अधिक का नहीं हो सकेगा।
 - (स) ऐसे कारावास से, जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से, जो दो लाख रूपये से

अधिक का नहीं हो सकेगा या दोनों।

(द) ऐसे कारावास से, जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से, जो एक लाख रूपये से अधिक का नहीं हो सकेगा या दोनों।

Que.

- Under section 66E of the Information Technology Act, 2000, an offence of violation of privacy, is punishable -
- (a) With imprisonment which may extend to three years and with fine not exceeding two lakh rupees.
- (b) With imprisonment which may extend to three years or with fine not exceeding one lakh rupees.
- (c) With imprisonment which may extend to three years or with fine not exceeding two lakh rupees, or with both.
- (d) With imprisonment which may extend to three years or with fine not exceeding one lakh rupees, or with both.
- प्रक. 100- सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66 में उल्लेखित कम्प्यूटर से संबंधित अपराध के लिए कारावास का दंड होगा
 - (अ) ऐसा कारावास जो एक वर्ष तक का हो सकेगा।
 - (ब) ऐसा कारावास जो तीन वर्ष तक का हो सकेगां।
 - (स) ऐसा कारावास जो पांच वर्ष तक का हो सकेगा।
 - (द) ऐसा कारावास जो सात वर्ष तक का हो सकेगा।
- Que. Computer related offences mentioned in Section 66 of the Information Technology Act, 2000 provides imprisonment
 - (a) imprisonment which may extend to one year.
 - (b) imprisonment which may extend to three years.
 - (c) imprisonment which may extend to five years.
 - (d) imprisonment which may extend to seven years.
